देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/221 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 17 दिसम्बर 2021

क्या सेटबेक नियमों की अवहेलना कर बन रही है यह बहुमंजिला ईमारत??

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ ज़ोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 1,2,2A,जगदंबा नगर ए का मामला!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है भूखंड संख्या 1,2,2A,जगदंबा नगर-ए का मामला|

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ ज़ोन स्थित भूखंड 1,2,2A,जगदंबा नगर-ए को पुनर्गठित करवा कर जेडीए द्वारा 18 मीटर ऊंची बहुमंजिला ईमारत बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी|बिल्डर द्वारा इस पुनर्गठित भूखंड पर नक्शे पास स्टील्ट+ग्राउंड+5 मजिल के नक्शे भी पास करवा दिए गए|बिल्डर द्वारा इस भूखंड पर 24 फ्लेट बनाए जाने है|स्वीकृत नक्शो के अनुसार इस बिल्डिंग के छट्ठे फ्लोर पर मात्र मुमटी बनाई जानी है|

भवन विनियमों के अनुसार इस पुनर्गठित भूखंड के अग्र भाग मे 15 फीट,पीछे की तरफ 10 फीट और एक साइड की तरफ 20 फीट और दूसरी साइड की तरफ 10फीट जगह सेटबेक हेतु छोड़ी जानी थी|

बिल्डिंग के निर्माण मे हो रही अनियमितताए आ रही सामने

लेकिन अब जब इस बिल्डिंग का बाहरी निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और केवल आंतरिक सज्जा का काम शेष है तो इस बिल्डिंग के निर्माण मे हो रही अनियमितताए सामने आ रही है|स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस बिल्डिंग के निर्माण मे चारो तरफ छोड़े जाने वाले सेटबेक नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है|

जानकारो का तो यह भी कहना है की बिल्डर द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत जाकर 24 फ्लेटों से कहीं अधिक का निर्माण किया गया है,जिससे इस बिल्डिंग की पार्किंग व्यवस्था बिगड़नी तय है|इसके अलावा भी कई अनियमितताएँ है जो कि बिल्डिंग के पूर्ण होते होते सामने आ जाएगी|

REGISTRATION NO :-

RECONSTITUTION SITE PLAN OF PLOT NO 1,2-A & 2

JAGDAMBA NAGAR-A

APOLLO GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI .LTD. JAIPUR

VILLAGE:- DHAWAS JAIPUR

SCALE :- 1"= 50'

PLOT AREA = 1 = 383.18 SQ.YDS

PLOT AREA = 2-A = 299.75 SQ.YDS

PLOT AREA = 2 = 228.36 SQ.YDS

भवन विनियमों के अनुसार इस पुनर्गठित भूखंड के अग्र भाग मे 15 फीट,पीछे की तरफ 10 फीट और एक साइड की तरफ 20 फीट और दूसरी साइड की तरफ 10फीट जगह सेटबेक हेतु छोड़ी जानी थी|

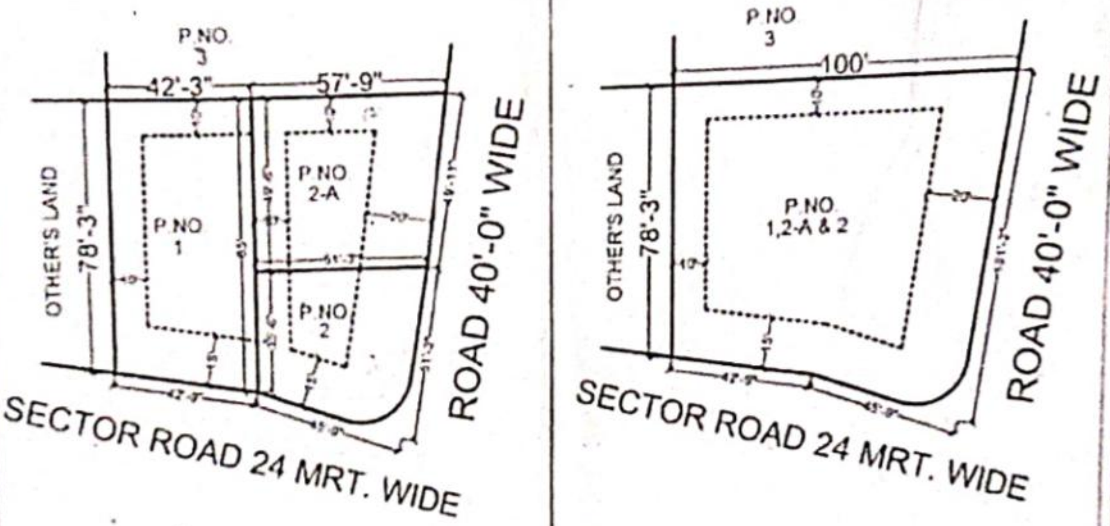

AFTER RECONSTITUTION AREA :-

PLOT NO = 1,2-A&2 = 911.29 SQ.YDS. (911.29)

OWNER'S

APOLLO GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI .LTD. JAIPUR

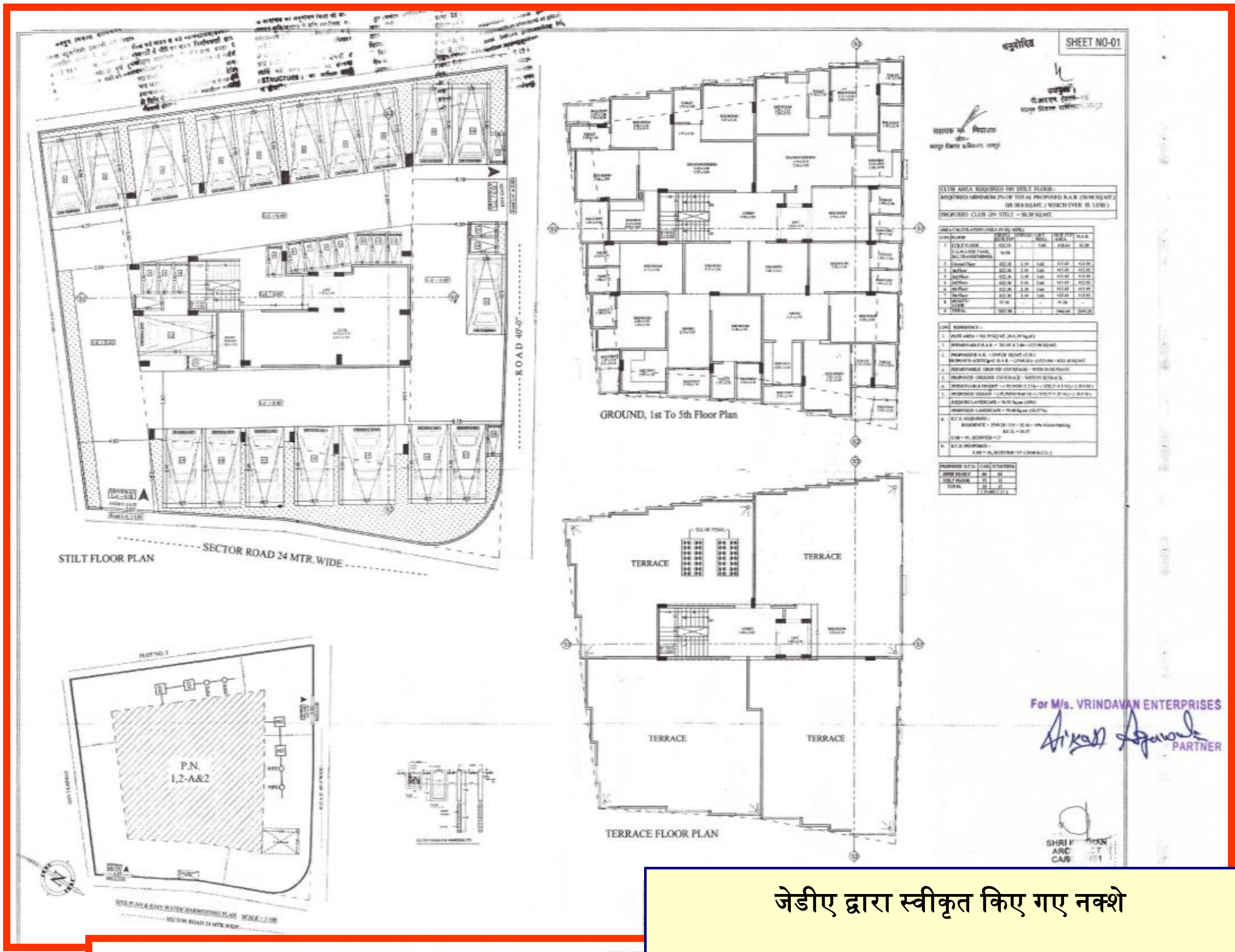

जेडीए द्वारा स्वीकृत किए गए नक्शे

भवन विनियमों के अनुसार इस पुनर्गठित भूखंड के 40 फीट रोड की तरफ एक साइड की 20 फीट जगह सेटबेक हेतु छोड़ी जानी थी लेकिन मौके पर यह मात्र 10 फीट के आस-पास है|

भवन विनियमों के अनुसार इस पुनर्गठित भूखंड के 24 मीटर रोड की तरफ अग्र सेट बेक हेतु 15 फीट जगह छोड़ी जानी थी लेकिन मौके पर यह भी मात्र 10 फीट के आस-पास है|

भवन विनियमों के अनुसार इस पुनर्गठित भूखंड के एक साइड मे 10 फीट जगह छोड़ी जानी थी लेकिन मौके पर यह भी मात्र 05 फीट के आस-पास है|

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या बिल्डर द्वारा स्वीकृत नक्शो के अनुसार निर्माण करवाया जा रहा है?
2. क्या यह सही है कि बिल्डर द्वारा सेटबेक नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है?
3. क्या स्वीकृत भवन मानचित्र स्वीकृति के अनुसार ज़ोन के एटीपी और जेईएन द्वारा निर्माण के दौरान इस बिल्डिंग का नियमित रूप से मौका निरीक्षण किया जा रहा था?
4. क्या बिल्डर द्वारा स्वीकृत 24 फ्लेटों से अधिक फ्लेटों का निर्माण किया जा रहा है?
5. इस बिल्डर द्वारा पीआरएन क्षेत्र मे कितनी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया जा चुका है?
6. इस बिल्डर द्वारा अब तक बनाई गयी कितनी बिल्डिंगे वैध है और कितनी अवैध?
7. क्या बिल्डर द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति के अनुसार सौर ऊर्जा और जल संरक्षण नियमों का पालन किया गया है?
8. क्या बिल्डर द्वारा स्वीकृत नक्शो के अनुसार अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी प्राप्त कर ली गयी है?
9. क्या हमारे द्वारा मामला संज्ञान मे लाने के बाद जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी इस बिल्डिंग की स्वीकृत नक्शो के अनुसार माप-जोख करवाएँगे?

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 24 जून 2021

भाग-1

माननीय गुलाब कोठारी जी,
आपकी मास्टर प्लान को बचाने की मुहिम को
सरकार कुंद कर रही है!!!

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशो के बावजूद
पूर्व मे बस चुकी आवासीय कॉलोनियो
मे भूखंडो को पुनर्गठित कर
बनाए जा रहे बहुमंजिला आवासीय कॉम्प्लेक्स!!!

माननीय न्यायालय के 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की बिल्डिंगो
पर रोक के बावजूद पुनर्गठित भूखंडों 1,2,2ए जगदंबा नगर-A
को स्वीकृत की गयी 18 मीटर की ऊंचाई!!!

भूखंड संख्या 1,2,2A ,जगदंबा नगर-ए का है मामला!!!,तीन भूखंडों को पुनर्गठित करवा कर बनाई जा रही 7 मंज़िला बिल्डिंग !!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151 पेज 1

-:जन हित मे जारी:-

फ्लेट खरीददार ध्यान दें,यदि बिल्डर द्वारा स्वीकृत नक्शो के विपरीत निर्माण करवाया गया है,भ्रामक जानकारी के आधार पर आपको फ्लेट का बेचान किया गया है,बिल्डर द्वारा रेरा प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है,तो आप रेरा मे शिकायत दर्ज करवा सकते है|माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आप सक्षम उपभोक्ता फोरम मे भी शिकायत दर्ज करवा सकते है|अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें|